भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1984

दिनांक 17 दिसम्बर 2025 / 26 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

भारत में अपराध की स्थिति

1984 श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के रिपोर्ट के अनुसार दर्ज कुल अपराधों, विशेष रुप से हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं अगवा, दंगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार, लिंचिंग, आकस्मिक मृत्यु आदि की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न अपराधों के संबंध में दर्ज मामलों, बरी होने, दोषसिद्धि दर तथा लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त अपराधों और आकस्मिक मृत्यु संबंधी सूचनाओं को संकलित और प्रकाशित करता है, जो क्रमशः "भारत में अपराध" और "भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्याएं" नामक प्रकाशनों में प्रकाशित होती हैं। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2023 तक उपलब्ध हैं।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1984, दिनांक 17.12.2025

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या, बलात्कार, अपहरण, दंगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराध/अत्याचार, आकस्मिक मृत्यु, अपराध-वार मामले, बरी किए गए मामले, दोषसिद्धि दर और वर्ष के अंत तक लंबित मामलों के आंकड़े एनसीआरबी की वेबसाइट (http://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध हैं। एनसीआरबी द्वारा लिंचिंग से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच करने तथा अपनी-अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। तथापि, गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, ताकि वे कानून और व्यवस्था बनाए रख सकें तथा यह सुनिश्चित कर सकें कि जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, वह विधि के अनुसार तत्काल दंडित हो।

*****